

**झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग**

प्रेषक,

राज किशोर प्रसाद चौहान,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
ऑड्रे हाउस, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :-.....

विषय :- प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं०-1779/वि० दिनांक-21.05.2014 के प्रावधानानुसार पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के अहर्ता प्राप्त कनीय अभियंताओं (सेवानिवृत्त एवं मृत सहित) के संबंध में सभी तथ्यों की जाँच करते हुए ACP/MACP का लाभ प्रदान करने निमित्त उनके कार्यालय प्रधान/स्थापना प्रभारी/नियंत्री पदाधिकारी प्रस्ताव, विहित प्रपत्र में सूचना विभाग में समर्पित करने हेतु उन्हें निदेशित प्रेस विज्ञप्ति की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन लगातार दो दिनों तक झारखण्ड राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

अनु०:-यथोक्त।

ह०/-

(राज किशोर प्रसाद चौहान)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-प०नि०वि०-०४/वि०उ०-०४-०१/२०२५..... राँची, दिनांक :- 12/06/2025

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, ई० प्रोक्क्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को ACP/MACP का लाभ प्रदान करने निमित्त निर्धारित विहित प्रपत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे Website:- www.jharkhand.gov.in के Road Construction Department के Notice Section पर Upload करने का कष्ट किया जाए।

अनु०:-यथोक्त।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

वित्त विभागीय संकल्प सं०-1779/वि० दिनांक-21.05.2014 के प्रावधानानुसार पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के अहर्ता प्राप्त वैसे कनीय अभियंता (सेवानिवृत्त एवं मृत सहित) जिन्हें ACP/MACP का लाभ प्रदान किया जाना है के संबंध में सभी तथ्यों की जाँच करते हुए, उनके कार्यालय प्रधान/स्थापना प्रभारी/नियंत्री पदाधिकारी प्रस्ताव, विहित प्रपत्र में सूचना भरकर इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्संबंधी विहित प्रपत्र झारखण्ड सरकार के Website:-www.jharkhand.gov.in के पथ निर्माण विभाग के Notice Section पर उपलब्ध है।

L17
12.06.2015
(राज किशोर प्रसाद चौहान)

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंताओं को वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति हेतु प्रपत्र।

1. विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता :-
2. सरकारी सेवक का नाम/पदनाम एवं वेतनमान सहित:-
3. जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि :-
4. सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम:-
5. कनीय अभियंताओं के पद पर योगदान की तिथि एवं वरीयता क्रमांक :-
6. परीक्ष्यमान घोषित होने की तिथि :-
(आदेश संख्या एवं तिथि सहित)
7. सेवा संपुष्टि की तिथि :-
(आदेश संख्या एवं तिथि सहित)
8. जी0पी0एफ0 संख्या/ PRAN No. :-
9. विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति :-
10. Online (जहाँ लागू हो) सम्पत्ति विवरणी समर्पित करने की अद्यतन स्थिति :-
11. यदि कोई प्रोन्नति मिली हो तो उसका विवरण :-
(आदेश सं0 एवं तिथि, प्रोन्नति की तिथि, वेतनमान)
(क) सहायक अभियंता :-
(ख) कार्यपालक अभियंता :-
(ग) अधीक्षण अभियंता :-
12. यदि कोई प्रोन्नति रद्द की गयी तो उसका विवरण :-
13. कुल सेवा अवधि :- वर्ष माह दिन
14. 10 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं प्रथम :-
MACP की देय तिथि
15. 12 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं प्रथम :-
ACP की देय तिथि
16. 20 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं द्वितीय :-
MACP की देय तिथि
17. 24 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं द्वितीय :-
ACP की देय तिथि
18. 30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं तृतीय :-
MACP की देय तिथि
19. पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की संपुष्टि प्राप्त है अथवा :-
नहीं (आदेश सं0 एवं तिथि सहित)
20. सेवा सत्यापन की स्थिति (देय तिथि तक) :-

21. प्रारंभिक वेतन सत्यापन की तिथि :-
22. वर्तमान में किस उन्नयन की स्वीकृति का प्रस्ताव है। :-
23. देय वित्तीय उन्नयन की तिथि के पूर्व पाँच वर्षों की गोपनीयः-
अभ्युक्ति विवरणी
24. विभागीय आरोप/विभागीय कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही :-
की स्थिति
25. अभ्युक्ति, यदि कोई हो :-

कार्यालय स्थापना प्रभारी का हस्ताक्षर